फर्द अहकाम

ओमप्रकाश बनाम धर्मवती

(हिस्सेदार बटवारा जायदाद [illegible])

नाम न्यायालय

केस संख्या

6 वाद - 1721/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	08/12/24	पत्रावली पेश हुई विपक्षीगण हाजिर नहीं [illegible] पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] का अवलोकन किया गया [illegible] द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र [illegible] एवं वादकारण [illegible] से प्रतीत होता है कि [illegible] के विरुद्ध [illegible] किया जावे। [illegible] की जावे। पत्रावली [illegible] नियत तिथि 08/12/2024 को [illegible] में पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:34:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

जगदीश बनाम रामकंवार

वाद संख्या 112/2016

14/12/2021

दिनांक 14.12.2021 को अधिवक्ता श्री रामकिशोर चौधरी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी0पी0सी0 बाबत निर्णय डिक्री 08.12.2021 पेश किया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी ने निवेदन किया कि उनवानी जगदीश बनाम रामकंवार मे निर्णय व डिक्री दिनांक 08.12.2021 वाद संख्या 112/2016 जो कि लिपिकीय त्रुटि के कारण वाद संख्या 122/2016 अंकित हो गया। जिसमे संशोधन किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त निर्णय डिक्री द्वारा माननीय न्यायालय मे वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर वाद खारिज किया है। लेकिन निर्णय के पृष्ठ संख्या 7 की पंक्ति सं0 22 मे अनुसार के पश्चात "नही" शब्द अंकित होने से रह गया। जिसका निर्णय संशोधन किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत निवेदन है कि निर्णय व डिक्री दिनांक 08.12.2021 मे वाद संख्या 122/2016 के स्थान पर 112/2016 अंकित किया जावे एवं निर्णय के पृष्ठ संख्या 7 की पंक्ति संख्या 22 मे अनुसार के पश्चात "नही" शब्द अंकित किये जाने उक्त आशय का संशोधन किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र शामिल मिसल कर पत्रावली के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.12.2021 का अध्ययन कर यह पाया गया कि सहवन से इस निर्णय डिक्री मे वाद संख्या 122/2016 अंकित हो गया व पृष्ठ संख्या 7 की पंक्ति 22 मे अनुसार के पश्चात नही शब्द अंकित होने से रह गया। न्यायालय यह पाता है कि यह दोनो त्रुटियां मात्र लिपिकीय है व इनको ठीक करने से निर्णय मे प्रदान अनुतोष पर कोई प्रभाव नही पडता। अतः सेक्सन 152 सी0पी0सी0 मे प्रदत्त शक्तियों के अनुसार यह न्यायालय यह प्रार्थना पत्र स्वीकार करता है।

निर्णय डिक्री मे निम्नलिखित दो संशोधन

1–वाद संख्या 122/2016 के स्थान पर 112/2016 अंकित किया जावे

2–निर्णय के पृष्ठ संख्या ... के पश्चात "नही" शब्द अंकित कर...

कर संशोधित निर्णय डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:34:54 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

संशोधित अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (प्रथम)** मुकाम **जयपुर** व इजलास **श्रीमती अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)**

1. जगदीश पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी ग्राम कंवर का बास तहसील व जिला जयपुर।
2. भोलूराम पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी ग्राम कंवर का बास तहसील व जिला जयपुर।
3. श्रवणलाल पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी ग्राम कंवर का बास तहसील व जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. रामकुंवार पुत्र घासी जाति जाट निवासी ग्राम कंवर का बास तहसील व जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर।
3. उप पंजीयक तृतीय जयपुर।
4. कालूराम पुत्र श्री नाथू जाति जाट निवासी ढाणी सीमेन्ट वाली ग्राम कंवर का बास पोस्ट. दुर्जनियावास तहसील व जिला जयपुर।
5. हनुमान पुत्र श्री नाथू जाति जाट निवासी ढाणी सीमेन्ट वाली ग्राम कंवर का बास पोस्ट दुर्जनियावास तहसील व जिला जयपुर।
6. जगदीश पुत्र श्री नाथू जाति जाट निवासी ढाणी सीमेन्ट वाली ग्राम कंवर का बास पोस्ट दुर्जनियावास तहसील व जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर – दावा 112/2016

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **श्रीमती अरशदीप बराड** व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण [illegible] हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि **प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा** [illegible] **पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी** [illegible] प्रस्तुत वादपत्र बार्ड बाई लॉ एवं वादकारण के अभाव में [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:34:54 IST
Reason: SelfAttested

इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज .... मुबलिग .... बाबत् ....

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर

1|

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह ....—.. फीसदी सालाना आज की

तारीख से तारीख अदायगी तक ....—.. का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14/12/2021 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)

ओहदा सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	00	00	स्टाम्प अर्जी दावा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	महन्ताना वकील	00	00
महन्ताना वकील	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत् इजराय हुक्मनामा	00	00	मुतफरिक	00	00
मुतफरिक	00	00		00	00
मीजान	00	00	मीजान	00	00

नोटः—इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर ... जो फीकन ... किया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:34:54 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति अरशदीप बरार (आर.ए.एस)
वाद संख्या – दावा 112/2016

1. जगदीश पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी ग्राम कंवर का बास तहसील व जिला जयपुर।
2. भोलूराम पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी ग्राम कंवर का बास तहसील व जिला जयपुर।
3. श्रवणलाल पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी ग्राम कंवर का बास तहसील व जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1: रामकुंवार पुत्र घासी जाति जाट निवासी ग्राम कंवर का बास तहसील व जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर।
3. उप पंजीयक तृतीय जयपुर।
4. कालूराम पुत्र श्री नाथू जाति जाट निवासी ढाणी सीमेन्ट वाली ग्राम कंवर का बास पोस्ट दुर्जनियावास तहसील व जिला जयपुर।
5. हनुमान पुत्र श्री नाथू जाति जाट निवासी ढाणी सीमेन्ट वाली ग्राम कंवर का बास पोस्ट दुर्जनियावास तहसील व जिला जयपुर।
6. जगदीश पुत्र श्री नाथू जाति जाट निवासी ढाणी सीमेन्ट वाली ग्राम कंवर का बास पोस्ट दुर्जनियावास तहसील व जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संशोधित निर्णय

~~निर्णय~~ दिनांक 15/12/2021

दिनांक 23/03/2021 को प्रतिवादी संख्या 1 ने आदेश 7 नियम 11 ए व डी सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर [illegible] कि वादीगण ने न्यायालय के समक्ष इस वादपत्र की मद संख्या [illegible] में [illegible] आराजीयात के बाबत वादपत्र के मद संख्या 3 में अभिवचन [illegible] अपर्याप्त मुद्रांकित विनिमय पत्र दिनांक 09.07.1990 की फोटो [illegible] के आधार पर वाद पेश कर खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अनुतोष चाहा है तथा वादपत्र की मद संख्या 7 में बदल पत्र का पंजीयन नही होना अंकित किया है। प्रार्थना पत्र में आगे कथन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अनरजिस्टर्ड एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:34:54 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर

अनस्टाम्पित बदल पत्र की फोटो प्रति के आधार पर है। माननीय न्यायालय को अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा करने का अधिकार नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 13, 15 व 19 तथा पंजीकृत दस्तावेज या विरासत के आधार पर ही खातेदारी अधिकारो की घोषणा किये जाने का प्रावधान है। वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी खसरा नंबर 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 कुल किता 9 कुल रकबा 47 बीघा 5 बिस्वा के शेष हिस्से 7/8 के सहखातेदार काश्तकार वादपत्र मे आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया कि खसरा नम्बर 185 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा में शेष हिस्सा 1/2 के सहखातेदार काश्तकार आवश्यक पक्षकार होने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद आवश्यक पक्षकार के संयोजन के अभाव में आदेश 1 नियम 9 सी0पी0सी0 के अनुसार खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा वादपत्र की मद संख्या 3 में खसरा नम्बर 185 रकवा 17 बीघा 12 बिस्वा हिस्सा 1/2 स्वय के हिस्से में आना अंकित किया है तथा मद संख्या 4 में उक्त आराजीयात पर राजस्थान काश्तकारी प्रभाव में आने के पूर्व से ही स्वयं का कब्जा काश्त होना अंकित किया है। इस प्रकार वादपत्र की मद संख्या 2 व 4 में किये गये अभिवचन विरोधाभाषी असंगत के आधार पर वादीगण का दावा कानूनन मेंटनेबल नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया है कि वादीगण को अनरजिस्टर्ड दस्तावेज बदलपत्र की फोटो प्रति दिनांक 10.07.1990 के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष वादपत्र पेश करने हेतु कोई वादकारण उत्पन्न नही होने के कारण वादीगण का वाद वादकारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है तथा वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नही है, वादीगण ने कब्जे प्राप्ति के अनुतोष के अभाव मे वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है, जो मेंटनेबल नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष नामान्तकरण संख्या 490 एवं 512 के विरूद्ध अपील पेश कर स्वयं द्वारा विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 211 की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से दिनांक 11.03.1988 को भूरा पुत्र नानगा से उसका संपूर्ण हिस्सा 1/8 कय कर भौतिक कब्जा प्राप्त कर वादीगण काश्तकार काबिज होना अंकित किया है वादपत्र की मद संख्या 8 में बदल पत्र के अनुसार ही काबिज होकर उपयोग उपभोग करने बाबत अभिवचन किये है इस [illegible] है कि वादीगण ने उक्त वाद क्लीन हैण्ड के [illegible] पेश किये जाने के कारण काबिले खारिज है, [illegible] प्रतिवादी की प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद वादीगण का वाद [illegible] बाई लॉ एवं वाद कारण के अभाव में खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:34:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब वादीगण द्वारा मदवार प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के कथनो को मदवार इंकार करते हुये कथन

(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

किया कि वादीगण ने अपंजीकृत विनिमय पत्र दिनांक 9.7.1990 की फोटो प्रति पर पेश किया गया है यह दौराने साक्ष्य दस्तावेज पर प्रदर्श करते समय उठाये जाने वाला बिन्दू है न कि आदेश 7 नियम 11 के तहत उठाया जा सकता है तथा इस प्रकार का बिन्दू जवाबदावा में लिया जा सकता है इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है स्वीकार नही है तथा इस मद का जवाब प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में विस्तृत रूप से दिया जा चुका है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 के तहत समस्त प्रकार की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाई जा सकती है। यह बिन्दू साक्ष्य के पश्चात निर्णित किया जाना चाहिये। वादीगण का दावा बाबत घोषणा का है इसलिये समस्त सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नही है, उन्ही पक्षकारों को घोषणा के वाद में पक्षकार बनाया जाता है जिनके विरूद्व वादपत्र में अनुतोष चाहा गया है, यदि किसी पक्षकार को वादपत्र में संयोजित नही किया गया है अथवा अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति को पक्षकार बना दिया गया है तो वादपत्र खारिज नही किया जा सकता है। भूमि पर कब्जे बाबत विवाद्यक बिन्दू कायम कर साक्ष्य के पश्चात न्यायालय द्वारा निर्धारण किया जाना है। जवाब में आगे यह भी कथन किया है कि वादकारण एक बण्डल ऑफ फेक्ट है जिसका निर्णय दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद किया जा सकता है, ऐसा बिन्दू जवाबदावे के माध्यम से लिये जा सकते है। प्रारम्भिक स्तर पर केवल मात्र वादी के वादपत्र में वर्णित अभिकथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाना है। प्रतिवादी द्वारा कब्जे व विक्रय पत्र से क्रय करने बाबत खसरा नम्बर 211 का कोई किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है, माननीय न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है, इसलिये प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. की परिधि में नही आने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओ की प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर बहस सुनी, प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस न्यायालय के समक्ष पेश की गई, लिखित बहस में अंकन किया कि वादपत्र के मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात के बाबत अपंजिकृत विनिमय पत्र दिनांक 09.07.1990 की फोटो प्रति के आधार पर वाद पेश कर खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अनुतोष चाहा है। माननीय न्यायालय को अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा [illegible] अधिकार नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 व 19 तथा पंजीकृत दस्तावेज या विरासत के आधार पर ही खातेदारी [illegible] घोषणा किये जाने का प्रावधान है। वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद विधि द्वारा बाधित व क्षैत्राधिकार विहिन होने के कारण राजस्व न्यायालय के समक्ष अंपजिकृत दस्तावेज बदल–पत्र फोटो प्रति दिनांक 10.07.1990 के आधार पर पोषणीय नही है, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:34:54 IST
Reason: SelfAttested

विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तो मे प्रतिपादित किया है:– 2018(2) सी.जे. सिविल 513 एस.सी. ए.आई.आर 2009 बोम्बे 93, ए.आई.आर 2017 उडीसा 100, सी. सी.सी 2001(2) 204 पंजाब एवं हरियाणा।

लिखित बहस में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह भी अंकित किया गया कि 100/– रूपये या उससे अधिक की सम्पति के मामले में तथा जो दस्तावेज किसी अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध मे किसी अधिकार का सृजन करता है या उसको प्रभावित करता है, तो यह आवश्यक रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिये। जो दस्तावेज विधि के अंतर्गत पंजीकृत किया जाना आवश्यक है, वह पंजीकृत नही है, तो न तो साक्ष्य मे ग्राहय है और ना ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अचल सम्पत्ति का अन्तरण पंजीकृत विलेख द्वारा ही किया जा सकता है, अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर कोई स्वत्व अधिकार प्राप्त नही होता हैं जैसा कि 2011(2) आर.आर.टी 1253 एस.सी, 2019(1) आर.आर.टी 332 एस.सी रजिस्टर्ड दस्तावेज के अभाव में राजस्व न्यायालय द्वारा खातेदारी अधिकारो को मंजूर करने का प्रावधान नही है। 2020(1)आर.आर.टी 446 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 13, 15, व 19 तथा पंजीकृत दस्तावेज या विरासत के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने का प्रावधान हैं, आर.आर.डी 1982 पेज 752।

प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा लिखित बहस में अंकन किया कि वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बरान् 211 लगायत 219 कुल किता 9 कुल रकबा 47 बीघा 5 बिस्वा के शेष हिस्से 7/8 के सहकाश्तकार वाद पत्र में व खसरा नम्बर 185 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा में शेष हिस्सा 1/2 के सहखातेदार आवश्यक पक्षकार हैं। जिन्हें वादीगण द्वारा वाद पत्र में पक्षकार नही बनाया गया हैं। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद आवश्यक पक्षकारों के संयोजन के अभाव में वाद वादीगण आदेश 1 नियम 9 सी0पी0सी0 के परन्तुक के अनुसार खारिज किये जाने योग्य हैं। जैसा कि विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित किया गया है

1. 2013(2)आर.आर.टी 762
2. 2017(2)आर.आर.टी 971
3. 2019(1)आर.आर.टी 768

वादीगण द्वारा वादपत्र की मद संख्या 3 में खसरा नम्बरान् 185 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा हिस्सा 1/2 पर अपंजीकृत व अनस्टाम्पित बदल पत्र की फोटो प्रति के आधार पर स्वयं के हिस्से ... अंकित किया है मद संख्या 4 में उक्त आराजी ... अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व से स्वयं का कब्जा काश्त होना अंकित किया हैं। इस प्रकार वादपत्र की मद संख्या 2 व 4 में किये गये अभिवचन विरोधाभासी असंगत हैं जिनके आधार पर वादीगण का दावा कानूनन मेन्टेनेबल नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य हैं जैसा कि निम्न न्यायिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:34:54 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बरार
सहायक ...
जयपुर शहर

दृष्टान्तों में प्रतिपादित किया गया है 2006(2)आर.आर.टी 1154, 2013(1)आर.आर.टी 216, 2014(1)आर.आर.टी 279 वादीगण को अनरजिस्टर्ड दस्तावेज बदल पत्र की फोटो प्रति दिनांक 10/7/1990 के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पत्र पेश करने का कोई वादकारण उत्पन्न नही हुआ हैं तथा वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नही हैं। वादीगण ने कब्जे प्राप्ति के अनुतोष के अभाव में वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है इस प्रकार वादीगण का वाद संधारण योग्य नही होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। वादीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष नामान्तकरण संख्या 490 व 512 के विरूद्ध अपील पेश कर स्वय द्वारा विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 211 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा ग्राम कंवर का बास भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11/03/1988 को भूरा पुत्र नानगा से उसका सम्पूर्ण हिस्सा 1/8 क्रय कर भौतिक कब्जा प्राप्त कर वादीगण काश्तकार काबिज होना अंकित किया है जबकि प्रस्तुत वादपत्र की मद संख्या 8 में बदल पत्र के अनुसार ही काबिज होकर उपयोग उपभोग करने का अभिवचन किया हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण ने उक्त वाद क्लीन हैण्ड के बिना पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य हैं। जैसा कि 2016(3)सी.जे सिविल 762 एस.सी, 2016(3)सी.सी.सी 790 एस.सी, 2008(3)डी.एन.जे राज0 1343, ए.आई.आर 2003 एस.सी 759 में स्पष्ट है कि तुच्छ एवं परेशान करने वाले व विधि विरूद्ध क्षेत्राधिकार विहिन वाद को प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारिज कर देना चाहिए, तुच्छ ओर परेशान करने वाले व विधि विरूद्ध वाद में जवाब दावा, तनकीयात व साक्ष्य इत्यादि पेश करने की आवश्यकता नही रहती।

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता द्वारा मौखिक बहस भी न्यायालय के समक्ष की गई, दौराने मौखिक बहस उनके द्वारा दस्तावेज सूची के साथ नामान्तकरण संख्या 93 ग्राम कंवर का बास तथा अपील संख्या 6/2011 जगदीश बनाम रामजीवण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर की अपील मीमो एवं प्रार्थना पत्र एवं निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश की तथा बिजली बोर्ड से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त वादी संख्या 1 व 2 जगदीश व भोलूराम के नाम की विद्युत कनेक्शन की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति पेश की, जिसके सम्बंध में मौखिक बहस में कथन किया कि वादपत्र के साथ प्रस्तुत विद्युत बिल विवादग्रस्त भूमि से सम्बंधित नही होकर विवादग्रस्त भूमि के अलावा अन्य वादीगण की पुश्तैनी भूमि खसरा नम्बर 180 पर स्थापित विद्युत कनेक्शन के सम्बंध में है। अतः प्रार्थी ने निवेदन किया कि वादी clean hands से न्यायालय के समक्ष नहीं आया बल्कि न्यायालय को गुमराह करने के लिये गलत तथ्य पेश किये है।

वादीगण/अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:34:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर जयपुर शहर

भूमि प्रथम सेटलमेन्ट के दौरान गलत इन्द्राज होने के कारण वादीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष घोषणा एवं दुरूस्ती का दावा किया है। खसरा नम्बर 185 हिस्सा 1/2 वादीगण के नाम होना चाहिये तथा खसरा नम्बर 211 लगायत 219 हिस्सा 1/8 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम होना चाहिये, चूँकि हम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व सम्वत 2012 से पूर्व से ही इसी प्रकार काबिज है। बदल पत्र तो हमारा सर्पोटेड दस्तावेज है हम न्यायालय से बदल पत्र की पालना नही करवा रहे है बदल पत्र की फोटो प्रति दस्तावेज के बाबत साक्ष्य के समय आपत्ति की जा सकती है। अपने जवाबदावे में उक्त बिन्दू प्रतिवादी उठा सकते है। वादकारण साक्ष्य से तय होने वाला बिन्दू है। प्रतिवादी ने दस्तावेज पेश नही किये है। बदल पत्र पर हस्ताक्षर से प्रतिवादी ने इन्कार भी नही किया है। इसलिये प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. खारिज फरमाया जाकर जवाबदावा पेश करने का अवसर बंद किया जावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओ द्वारा की गई बहस एवं वादपत्र, आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र, पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृस्टांतो का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की मद संख्या 3 निम्न प्रकार है:–

"यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विवादित आराजीयात के बाबत अपने–अपने कब्जे काश्त की सहूलियत के अनुसार व कब्जे अनुसार भूमि अदला बदली करने हेतु एक विनिमय पत्र दिनांक 9.7.1990 को तहसीलदार जयपुर के यहॉ प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 10.7.1990 को स्वीकार किया गया, तथा उक्त विनिमय पत्र में वादीगण को भूमि खसरा नम्बर 185 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा, की खातेदारी दर्ज करने बाबत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वीकार किया गया तथा खसरा संख्या 211 लगायत 219 कुल किता 9 रकबा 47 बीघा 5 बिस्वा में वादीगण का 1/8 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने को स्वीकार की गई। तथा दिनांक 10.7.1990 को उक्त आदेश तहसीलदार जयपुर द्वारा किया गया, जिस पर वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 व उनके वारिसान उत्तराधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया।"

वादपत्र की मद संख्या 7 निम्न प्रकार है :–**"यह कि दिनांक 10.7.1990 को तहसीलदार जयपुर द्वारा तस्दीक किये गये बदल पत्र को पंजीयन नही करवाया गया, इस कारण उक्त बदल पत्र [illegible]ज की हाल राजस्व जमाबंदी में अगल दरामद नही [illegible] को खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु यह [illegible]श्यक हुआ है।"**

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:34:54 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र की मद संख्या 10 निम्न प्रकार है :–

"यह कि दिनांक 18.7.2016 को विवादित आराजीयात की जमाबंदी की सत्यप्रतिलिपि पटवारी से प्राप्त करने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 से पूर्व में किये गये बदल पत्र के अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करवाने हेतु कहा

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर

गया तो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इन्कार कर दिया गया, तथा ऐलानिया कहाँ कि अब मैं पूर्व में सहमति से किये गये बदल पत्र के अनुसार अमल दरामद नही करवाऊंगा, इस कारण वादकारण उत्पन्न हुआ जो आज तक निरन्तर जारी होने के कारण वादीगण द्वारा यह वादपत्र बाबत घोषणा खातेदारी अधिकारों एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।''

वादपत्र की मद संख्या 4 निम्न प्रकार है:–

''यह कि भूमि खसरा नम्बर 185 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा का 1/2 हिस्सा हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, परन्तु उक्त आराजीयात पर राजस्थान टी.ऐ 1955 प्रभाव में आने के पूर्व से ही वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। तथा वादीगण के हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 211 लगायत 219 कुल किता 9 कुल रकबा 47 बीघा 5 बिस्वा के 1/8 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त वादपत्र में विवादित आराजीयात पर आज तक वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 बदल पत्र के अनुसार ही काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है।''

वादपत्र के मद संख्या 3, 7 व 10 में किये गये अभिवचनों से स्पष्ट है कि वादीगण का वादपत्र अपंजीकृत एवं अपर्याप्त मुद्रांकित विनिमय पत्र दिनांक 10.7.1990 की फोटो प्रति के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है, जिसमें वादकारण दिनांक 18.7.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बदल पत्र की पालना करने से इन्कार किये जाने का अंकन कर वादकारण होना अंकित किया है, जिससे स्पष्ट है कि वादीगण का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के अनुसार नही है। राजस्व न्यायालय के समक्ष अपंजीकृत एवं अपर्याप्त मुद्रांकित विनिमय पत्र के आधार पर राजस्व न्यायालय को खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने का क्षेत्राधिकार नही है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2011(2) आर.आर.टी 1253 एस.सी, 2019(1) आर.आर.टी 332 एस.सी, 2020(1)आर.आर.टी 446 में भी प्रतिपादित किया गया है कि अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर कोई स्वत्व अधिकार, खातेदारी अधिकारो की राजस्व न्यायालय को घोषणा किये जाने का प्रावधान नही है। न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1989 पेज नम्बर 752 में भी स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 13, 15, व 19 तथा पंजीकृत दस्तावेज या विरासत के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने का प्रावधान है।

वादपत्र की मद संख्या 4 में वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने के पूर्व से ही विवादित आराजीयात पर बदल पत्र के अनुसार काबिज होकर काश्त करना अंकित किया है वादीगण के वादपत्र में अंकित उक्त अभिवचनों के विपरीत प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अपील संख्या 6/2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर के समक्ष हस्तगत वाद के वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील की मद संख्या 2 में खसरा नम्बर 211

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:34:54 IST
Reason: SelfAttested

जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.3.1988 को खातेदार भूरा पुत्र नानगा से 1/8 हिस्सा क्रय कर भौतिक कब्जा प्राप्त करना अंकित किया है। वादीगण के उक्त दस्तावेज अपील से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 211 व अन्य रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय करने की दिनांक से पूर्व विक्रेता भूरा पुत्र नानगा के कब्जे काश्त की पुष्टि होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण या प्रतिवादी संख्या 1 का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से कब्जा होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 185 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 1.09.1982 को नाथू पुत्र मंगला से क्रय की है, विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 93 दिनांक 07.01.1983 को स्वीकृत नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति में कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 को होना अंकित है। जबकि वादपत्र में वादीगण ने खसरा नम्बर 185 का कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने के समय से स्वयं का चला आना अंकित किया है, इस प्रकार वादीगण के वादपत्र के अभिवचन बदल पत्र एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय कब्जे के अंकन के आधार पर किये गये है जो कि विरोधाभाषी, असंगत है जो किसी भी अवस्था में एक साथ प्लीड नही किये जा सकते है इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अभिवचनों से स्पष्ट है कि वादपत्र विरोधाभाषी, असंगत, अस्पष्ट, फ्राइवोलस एवं मेरिटलेस, क्लीन हैण्ड के बिना प्रस्तुत किया है ऐसे हेरान परेशान करने वाले वादपत्र में जवाबदावा लेकर तनकीयात कायम करने व साक्ष्य लिये जाने की आवश्यकता नही है, ऐसे वादपत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है ताकि न्यायालय व पक्षकारो का बहुमूल्य समय बचा जा सके। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर 1994 एस.सी 853, ए.आई.आर 1977 एस.सी 2421, 2015(4) सी.सी.सी. 394 हैदराबाद, 2017(1) डी.एन.जे. राज. पेज नम्बर 1 प्रकरण पर चस्पा होते है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद [illegible] बार्ड बाई लॉ एवं वादकारण के अभाव में खारिज किया जाता है। [illegible] हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:34:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर (प्रथम)